फावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी हाजिर नहीं। रूक-रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई फिर भी हाजिर नहीं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी 1.9. भी वैकेट की जाती है। फावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पूगल, जिला-बीकानेर